Class - B.A-Part-2 (Honours)
Paper - III

Name of the Guest Teacher - Khushbu kumari, V.S.J. College, Rajnagar
dept. of Political science, Jnmu

Page No.
Date

Topic - मौलिक अधिकार

भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग III के अन्तर्गत 6 मौलिक अधिकार प्रदान की गई है। पहले सात मौलिक अधिकार थे, परन्तु 44 वें संवैधानिक संशोधन के बाद इनकी संख्या कम होकर 6 हो गई है। सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया और इसको अनुच्छेद 300-ए के अधीन कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार है —

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनु. 29 - 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) (Right to Equality)

समानता के अधिकार के अन्तर्गत पाँच अधिकारों को शामिल किया गया है।

(i) कानून के समक्ष समानता (अनु. 14) — अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के लिए कानून के सामने समानता की

गारंटी देता है। सभी नागरिकों को कानून की एक समान सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या अपने क्षेत्र में कानून की एक - समान सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। इस अधिकार के अन्तर्गत दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है — पहला विधि के समक्ष समता तथा दूसरा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता शब्द इंग्लैण्ड से लिया गया है। इस वाक्यांश का अर्थ होता है कि कानून के नजर में सभी लोग समान होते हैं। विधियों का समान संरक्षण शब्द अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थितियों में कानून सभी पर एकसमान लागू होता है।

अपवाद: कानून के समक्ष समानता का अर्थ निरंकुश समानता नहीं होता है। इसका अर्थ एक जैसी स्थिति के लोगों के मध्य समानता है। यह व्यक्तियों के अलग-अलग समूहों में वर्गीकरण की मनाही नहीं करता। यह कुछ व्यक्तियों, जो विशेष अपराधों में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए राज्य को विशेष न्यायालय स्थापित करने की आज्ञा भी देता है।

Scanned with CamScanner

(ii) भेदभाव की मनाही (अनु० 15) — अनुच्छेद 15 धर्म, नसल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर मंदिरों, दुकानों, होटलों, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है और ना ही इन्हें सार्वजनिक साधनों के उपयोग करने से रोका जा सकता है।

अपवाद — संविधान के द्वारा भेदभाव के मनाही की व्यवस्था तो की गई है परंतु इसके साथ ही सुरक्षात्मक भेदभाव के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास कर सकता है। इसी तरह संविधान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था भी करता है।

(iii) अवसर की समानता (अनु० 16) — संविधान अनुच्छेद 16 के अधीन राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार या नियुक्ति के संबंध में अवसरों की समानता की व्यवस्था करता है। किसी भी

Scanned with CamScanner

नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य के किसी पद या रोजगार देने के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और इस संबंध में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अपवाद — संविधान संसद को ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले किसी श्रेणी के रोजगार और नियुक्तियों की श्रेणियों के संबंध में आवश्यक योग्यताओं के बारे में कानून बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके साथ ही संविधान के द्वारा पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों एवं नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(iv) अस्पृश्यता का अंत (अनु० 17) — संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का अंत किया गया है और किसी भी रूप के अस्पृश्यता के अभ्यास को कानून के अधीन दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस व्यवस्था के अधीन दो महत्वपूर्ण कानून पास किये गए हैं — (i) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 और (ii) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976।

(v) उपाधियों की समाप्ति (अनु० 18) — संविधान के अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत राज्य को सैनिक या अकादमिक उपलब्धियों के अतिरिक्त किसी उपाधि को देने की मनाही की व्यवस्था की गई है। यह भी निर्धारित किया गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी बाहरी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेगा और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु राज्य के अधीन किसी लाभदायक पद अथवा ट्रस्ट में कार्यरत है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी बाहरी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता।

Scanned with CamScanner